

मध्य प्रदेश शासन  
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति  
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002  
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2020/3737

दिनांक - 30/12/2020

सूचना

बॉर काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थायें जिन्होंने सत्र 2019-20 में शुल्क का विनियमन किसी कारणवश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अतः ऐसी समस्त संस्थायें विधि पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2019-20 के शुल्क विनियमन हेतु दिनांक 04.01.2021 तक प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में प्रोसेसिंग शुल्क के साथ प्रस्ताव (वित्तीय लेखे जैसे आय-व्यय पत्रक) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् सत्र 2019-20 के शुल्क विनियमन हेतु किसी संस्था के अनुरोध को समिति, सचिवालय द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

Am